प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, कानपुर देहात
दिनांक- 11.11.2026

- **थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर-इरादतन हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 सिल व 01 सिलबट्टा बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 09.11.2026 को थाना अकबरपुर पर वादी श्री मनोज पुत्र राजेश कश्यप निवासी ग्राम शिवली थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर बावत दिनांक 08.11.2026 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई के साथ गाली-गलौच करना व मना करने पर वादी भाई के साथ मारपीट करना तथा मरणासन्न स्थिति में छोड़कर चले जाना जिसकी बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 448/2026 धारा 105/352 बीएनएस बनाम 1. शिवनारायण पुत्र स्व0 लल्लू प्रसाद, 2. मीना पत्नी शिवनारायण उभय निवासीगण ग्राम कमीर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात व 3. सुनीता पत्नी अजय कश्यप उर्फ रिंकू पुत्री शिवनारायण निवासी वार्ड नं0 3 शिवली थाना शिवली जनपद कानपुर देहात हाल पता मायका ग्राम कमीर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 10.11.2026 समय करीब 16.48 बजे अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिरखास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण शिवनारायण एवं सुनीता उपरोक्त को मंसुरा मटियामऊ रोड पर मंसुरा पुलिया के पास थाना क्षेत्रांतर्गत अकबरपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया है। शेष 01 अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ अभियुक्तगण- अभियुक्त शिवनारायण ने पूछताछ करने पर बताया कि अजय कश्यप उर्फ रिंकू ने मुझे गिराकर नीचे दबा लिया था तो मैंने पास में ही पडी ईंट उसके मुँह में मार दी थी और मेरी बेटी सुनीता को लगा कि अजय कश्यप उर्फ रिंकू अब मुझे मार देगा तो उसने सिलबट्टा उठाया और अजय कश्यप उर्फ रिंकू के सिर पर मार दिया जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। हम लोगों को लगा कि थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, अभी होश में आ जायेगा। लेकिन सुबह जब देखा तो उसकी मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्ता सुनीता ने भी उक्त कथन की पुष्टि करते हुये बताया कि मेरे पति ने मेरे पिता को नीचे दबा लिया था और मेरे पिता बचाने के लिए आवाज लगा रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैंने सिलबट्टा उठाकर अपने पति के सिर में मार दिया था। साहब हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से वह मर गया, घटना के बाद हम लोगों ने सिलबट्टे को पास में ही खेत में पडी पराली में दबा दिया था।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. शिवनारायण पुत्र स्व0 लल्लू प्रसाद निवासी ग्राम कमीर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 65 वर्ष।
2. सुनीता पत्नी अजय कश्यप उर्फ रिंकू पुत्री शिवनारायण निवासी वार्ड नं0 3 शिवली थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, हाल पता मायका ग्राम कमीर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 33 वर्ष।

अभियुक्त शिवनारायण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 448/2026 धारा 105/352 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्ता सुनीता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 448/2026 धारा 105/352 बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 सिल व 01 सिलबट्टा।

गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जयप्रकाश सिंह
2. हे0का0 289 सुभाषचन्द्र
3. म0का0 1394 सलोनी